षोडश बिहार विधान सभा

तृतीय सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-03.08.2016 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री श्याम रजक, स०वि०स० श्री रमेश ऋषिदेव, स०वि०स० श्री सुबोध राय, स०वि०स०	''वर्ष 2016 में पटना उच्च न्यायालय में महाधिवक्ता कार्यालय के लिए प्रधान अपर महाधिवक्ता, अपर महाधिवक्ता, राजकीय अधिवक्ता, स्थायी सलाहकार एवं सरकारी वकीलों के 82 पदों पर नियुक्ति विधि विभाग द्वारा की गयी है । इनमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के एक भी सदस्य नियुक्त नहीं किये गये हैं । ज्ञातव्य हो कि आन्ध्र प्रदेश, केरल एवं उड़ीसा में इस प्रकार की नियुक्तियों में आरक्षण की व्यवस्था है । आन्ध्र प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए 15 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिए 6 प्रतिशत एवं पिछड़े वर्ग के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गयी है । परन्तु बिहार में ऐसी नियुक्तियों में आरक्षण की व्यवस्था नहीं रहने से यहाँ के अभिवंचित तबके के लोग सरकारी वकील नियुक्त होने से वंचित रह जाते हैं । अतः राज्य के सभी न्यायालयों में सरकारी अधिवक्ता की नियुक्ति में आरक्षण की व्यवस्था हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"	विधि

1	2	3	4
2.	श्री जिवेश कुमार, स०वि०स० श्री संजय सरावगी, स०वि०स० श्री संजीव चौरसिया, स०वि०स० श्री अवधेश सिंह, स०वि०स० श्री अशोक कुमार सिंह, स०वि०स० श्री राजीव नन्दन, स०वि०स० श्री वृज किशोर बिंद, स०वि०स०	''बिहार राज्य अन्तर्गत 34540 शिक्षकों को तत्कालीन सरकार ने उनके गृह जिला में स्थानान्तरण करने की घोषणा विधिवत कर दी थी परन्तु वर्त्तमान सरकार इसे अमलीजामा नहीं पहना सकी । जबकि वर्त्तमान सरकार के माननीय शिक्षा मंत्री ने 27 जनवरी, 2016 को राजेन्द्र भवन, पटना में सम्बन्धित शिक्षकों के साथ वार्त्ता में इस बात का आश्वासन भी दिया था, परन्तु इस दिशा में अबतक कोई कार्रवाई नहीं हो पायी है । गृह जिला में पदस्थापित होने के बाद शिक्षक समय से विद्यालय जा सकेंगे तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे पायेंगे । अत: छात्रहित में इस कार्य को अविलम्ब करने के लिए हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।''	शिक्षा

राम श्रेष्ठ राय
सचिव
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-26/16- 1703-1716 / वि०स०, पटना, दिनांक- 02 अगस्त, 2016 ई० ।

प्रति:- बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्य मंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्री / माननीय मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना / संसदीय कार्य विभाग / विधि विभाग तथा शिक्षा विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रदीप कुमार राय
2.8.16
(प्रदीप कुमार राय)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-26/16- 1703-1716 / वि०स०, पटना, दिनांक- 02 अगस्त, 2016 ई० ।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रशाखा पदाधिकारी, सचिवीय कार्यालय को क्रमश: माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रदीप कुमार राय
2.8.16
(प्रदीप कुमार राय)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।